रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2649] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2649] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3335(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के सोनितपुर जिले के उत्तरी भाग और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के साथ 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और जहाँ, प्राणी और वनस्पति इस अभयारण्य में समृद्ध वनस्पतीय महत्ता के उपदर्शित करते हैं ;

और जहाँ, नमेरी का पर्यावास उष्ण कंटिबंधीय सदैव हरित, आर्द्र, पर्णपाती वनों से मिलकर बना है जिसमें बैत ब्रेक्स और नदियों के साथ खुली घास भूमियों की संकरी पगडंड़िया हैं, घास भूमिया इस उद्यान के कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत हैं जबकि इस क्षेत्र में अर्ध सदैव हरित और आर्द्र पर्णपाती प्रजातियों का बहुल्य है । आरक्षिती में उपलब्ध वन

किस्मों में असम घाटी उष्ण कंटिबंधीय सदैव हरित वन, उप हिमालयन हल्के जलोढ अर्ध-सदैव हरित वन, पूर्वी जलोढ गौण अर्ध-सदैव हरित वन, बैत ब्रेक्स, हल्की जलोढ स्वाना वुडलैंड, पूर्वी होलोक वन पूर्वी मौसमी, दलदली वन, पूर्वी डिलेनिया दलदली वन और पूर्वी जलीय जलोढ घास भूमि है ;

और जहाँ, प्राणियों की सूची में स्तनपाइयों की पच्चीस प्रजातियां : एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, बादली तेंदुआ, स्लोथ भालू, हिमालयन काला भालू, हाथी या भैंसा, जंगली कुत्ते (ढोल), सांभर, बार्किंग, हिरण, होग हिरण, हिस्पीड, खरगोश, भारतीय खरगोश, टोपीदार लंगूर, स्लो लोरिस, असमी बंदर, रिसस बंदर, हिमालयन येलो थ्रोटड, मार्टिन, मलायम बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, जंगली सुअर, बड़ा भारतीय मुश्कबिलाव, छोटा भारतीय मुश्कबिलाव, तेंदुआ बिल्ली आदि हैं ।

नमेरी में समृद्ध और विविधतापूर्वक पक्षी विभिन्नती भी है, जिसके अंतर्गत अब तक अभिलिखित 374 प्रजातियां हैं । 374 प्रजातियों में 8 वैश्विक रुप से संकटग्रस्त (सफेद पंखों वाली वुड बत्तख, लाल भूरी गर्दन वाला धनेष, प्लास मत्स्य गरुड, वाइट रम्पड गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, बड़ा चित्तीदार गरुड, छोटा एडजुटेंट बगुला, जोडनर्स बेबलर) हैं और पांच प्रजातियां लगभग संकटग्रस्त प्रवर्ग (वाइट चेक्ड पेट्रीज, ब्लैक बिल्ड टर्न, सफेद पूंछ वाला गरुड, छोटा मत्स्य गरुड और लाल सिर वाला गिद्ध) हैं ।

सरीसृप जांच सूची में शामिल हैं : जालीदार पाइथान, बर्मी पाइथान, गोह, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा, बैंडेड करैत, पिट बाइपर, साधारण अंधा सांप, उड़ने वाला सांप और कुछ अन्य प्रजातियां हैं । जिया-भोरेली नदी और अन्य सहायिकोओं में विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं उनमें से महत्वपूर्ण सुनेहरी मशेर, रौउ, कांधुली, भाकुआ, बातो, लासीम, अरी, बोरेली, सिंगी, मागूर, जौल, गोरोई, कावोई और खोलीहिओना हैं । अकशेरुकियों में तितली और कीटों की अस्सी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है ।

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नमेरी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5 किलोमीटर तक पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमा तक है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध -I** पर दी गई हैं ।

(3) नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ जीपीएस समन्वयक **उपाबंध II** पर दिए गए हैं।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने का सुनिश्चय करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना असम सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संनिर्माण नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ।

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसार्टों के स्थापना को पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

IndiaCode

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां** -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

IndiaCode

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(10)	मोबाई टावर ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	पशुओं का झुंड ।	पशुओं के झुंड को राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 500 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से के संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना के सिवाए । तथापि, 1 किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-

		निर्देशों के अनुरुप होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा । (ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा ।
(14)	खाई-स्थल ।	कोई नई खाई स्थल स्थापित नहीं की जाएगी । पुराने खाई स्थल लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(16)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	भू-जल का दोहन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
(20)	प्रवासी चरवाहों ।	आंचलिक महायोजना के लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	विद्यमान प्रतिष्ठापन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	विद्युत तारों का इन्शुलेशन ।	भूमिगत तार बिछाने का संवर्धन ।
(23)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(24)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । वन्यजीवों के मुक्त संचालन के अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठापन अपनी संपत्तियों में काटेंदार तार नहीं लगाएंगे और बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यमान बाड़ जो इस प्रकार उपदर्शन का अनुपालन नहीं करती है तो आंचलित महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
(25)	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वाणिज्यिक प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(27)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(28)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	आंचलिक महायोजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय कोई संनिर्माण कार्यकलाप एक से दस से अधिक पहाड़ी ढलानों पर नहीं किया जाएगा और किसी नदी तथा प्राकृतिक नाले से सौ मीटर तक संनिर्माण कार्यकलाप नहीं किया जाएगा ।
	संवर्धित क्रियाकलापः	
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(35)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	लघु उद्योग, जो प्रदूषण कारित नहीं कर रहे हैं ।	प्रदूषण न करने वाले गैर परिसंकटमयी लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग स्वदेशीमालों से पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्पादों का उत्पादन कर रहे है और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल संघात कारित नहीं करते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, असम राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, सोनितपुर - अध्यक्ष ;

(ii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे असम राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(iii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, (जो पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है) जिसे असम राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iv) प्रादेशिक अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(v)जिला वन अधिकारी, सोनितपुर - सदस्य ;

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार, - सदस्य ;

(vii) उप वन परिरक्षक (डब्ल्यूएल) - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/117/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम	देशान्तर	अक्षांश
1	छोटईगांव	92°47'44.91"	26° 57'34.73"
2	छोटईगांव (मीरीबस्ती)	92°48'31.81"	26° 56'51.08"
3	पोटासल्ली	92°49'29.61"	26° 55'22.99"
4	गमानी	92°48'25.23"	26° 55'36.26"
5	नतुन धारीकटी	92°49'31.86"	26° 54'53.71"
6	अरालीलागा	92°47'42.14"	26° 54'22.27"
7	सोपालोगा	92°47'44.57"	26° 54'45.88"

8	सेंगेलीमरी	92°47'21.55"	26° 53'27.56"
9	धरीकटी	92°49'39.99"	26° 53'16.76"
11	सोनाईबस्ती	92°49'30.47"	26° 52'21.35"
12	बोकोला	92°46'51.27"	26° 52'53.91"
13	दोलोन्गबस्ती	92°47'44.05"	26° 52'4.061"
14	बेदगौल	92°47'27.26"	26° 51'41.67"
15	होद्दीबस्ती	92°48'22.29"	26° 51'30.56"
16	भोरेलीबस्ती	92°49'7.979"	26° 51'39.36"
17	भूरागांव टी जी	92°48'53.27"	26° 50'57.98"
18	लोकरा	92°48'8.450"	26° 50'27.10"
19	घोरामरी	92°49'50.37"	26° 49'58.38"
20	सलानीबस्ती	92°49'21.99"	26° 49'27.81"
21	सलानी	92°50'12.52"	26° 49'24.72"
22	बमगांव	92°48'32.67"	26° 49'18.85"
23	अकाबस्ती	92°49'18.36"	26° 48'39.70"
24	सिलानीपाम	92°51'41.47"	26° 49'38.46"
25	बादगांव	92°51'44.93"	26° 48'57.77"
26	सिकिमगांव	92°51'52.54"	26° 50'10.81"
27	सिलानीघाट	92°52'27.93"	26° 49'53.79"
28	बहमीनीपाम	92°53'23.57"	26° 49'39.89"
29	थोवबंगा	92°53'49.01"	26° 48'39.58"
30	अगरीपाम	92°54'15.14"	26° 49'40.28"
31	पटगांव	92°53'41.56"	26° 50'13.01"
32	रंगा छक	92°54'39.36"	26° 50'20.73"
33	बोर दिकराइ	92°53'45.03"	26° 51'31.41"
34	मोरीकुटी	92°55'1.518"	26° 51'28.63"
35	बतामरी	92°56'6.584"	26° 50'35.67"
36	क्रिशयन बस्ती	92°56'5.719"	26° 51'55.95"
37	बतामरी	92°56'14.02"	26° 51'13.81"
38	गिथरीजन	92°56'45.00"	26° 50'52.35"
39	उत्तर बलिजुरी	92°57'35.35"	26° 51'26.31"
40	तेजालपट्टी	92°58'51.32"	26° 52'5.219"
41	मीरिगांव	92°56'5.113"	26° 52'45.12"

IndiaCode

उपाबंध-II

प्रस्तावित नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ जीपीएस समन्वयक

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू 01	92° 39.018' पू	27° 0.901' उ
2	पू 02	92° 39.849' पू	27° 2.250' उ
3	पू 03	92° 42.920' पू	27° 1.565' उ
4	पू 04	92° 46.415' पू	27° 1.954' उ
5	पू 05	92° 50.026' पू	27° 0.742' उ
6	पू 06	92° 55.255' पू	26° 58.892' उ
7	पू 07	92° 58.990' पू	26° 56.172' उ
8	पू 08	92° 56.634' पू	26° 53.058' उ
9	पू 09	92° 52.536' पू	26° 50.751' उ
10	पू 10	92° 51.052' पू	26° 50.308' उ
11	पू 11	92° 50.030' पू	26° 52.786' उ
12	पू 12	92° 51.079' पू	26° 54.943' उ
13	पू 13	92° 49.233' पू	26° 57.440' उ
14	पू 14	92° 44.102' पू	26° 59.723' उ
15	पू 15	92° 41.027' पू	26° 59.787' उ

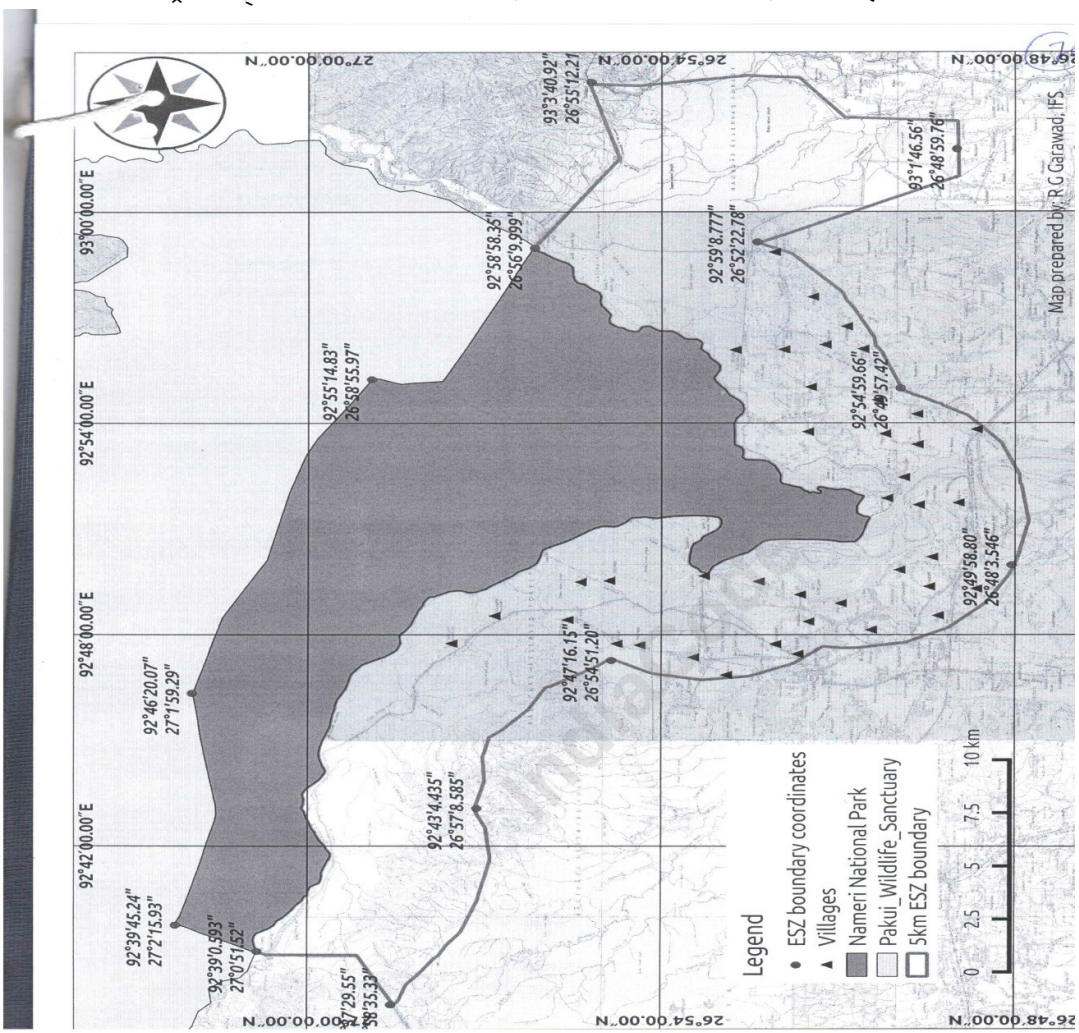
नमेरी राष्ट्रीय उद्यान का पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के बिन्दुओं का जी. पी. एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू 01	92° 38.967' पू	26° 58.871' उ
2	पू 02	92° 37.921' पू	26° 58.371' उ
3	पू 03	92° 42.276' पू	26° 56.582' उ
4	पू 04	92° 47.570' पू	26° 54.332' उ
5	पू 05	92° 48.052' पू	26° 50.522' उ
6	पू 06	92° 50.116' पू	26° 47.196' उ
7	पू 07	92° 54.372' पू	26° 47.651' उ
8	पू 08	92° 58.472' पू	26° 50.750' उ
9	पू 09	93° 0.467' पू	26° 53.106' उ
10	पू 10	93° 1.572' पू	26° 54.543' उ

IndiaCode

उपाबंध-III

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3335(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Nameri National Park is situated between the northern part of Sonitpur District of Assam and lies along the foothills of Eastern Himalayas of Arunachal Pradesh spread over an area of 200 square kilometre.

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary.

AND WHEREAS, the habitat of Nameri is made up of tropical evergreen, semi-evergreen, moist deciduous forests with cane brakes and narrow strips of open grassland along rivers. Grassland comprise less than 10 percent of the total area of the park while the semi-evergreen and moist deciduous species dominate the area. Forest types available within the reserve are: Assam Valley Tropical Evergreen Forests, Sub Himalayan Light Alluvial Semi- Ever- green Forests, Eastern Alluvial Secondary Semi Evergreen Forests, Cane Brakes, Low Alluvial Savanna Woodland, Eastern Hollock Forests, Eastern Seasonal Swamp Forests, Eastern Dillenia Swamp Forests and Eastern Wet Alluvial Grassland.

AND WHEREAS, The list of fauna includes more than 25 species of mammals: Asian elephant, Tiger, Leopard, Clouded Leopard, Sloth Bear, Himalayan Black Bear, Indian Bison, Wild dog (Dhole), Sambar, Barking Deer, Hog Deer, Hispid Hare, Indian Hare, Capped Langur, Slow Loris, Assamese Macaque, Rhesus Macaque, Himalayan Yellow throated Martin, Malayan Giant Squirrel, Flying Squirrel, Wild boar, Large Indian civet, small Indian civet, leopard cat etc.

Nameri has also got rich and varied bird diversity that includes 374 species recorded so far. Of the 374 species, eight species are globally threatened (White-winged wood Duck, Rufous-necked Hornbill, Pallash Fish Eagle, White-rumped Vulture, Slender billed Vulture, Greater Spotted Eagle, Lesser Adjutant Stork, Jerdon's Babbler) and five species are of near threatened category (Whitecheeked Patridge, Black-bellied Tern, White-tailed Eagle, Lesser Fish Eagle and Red-headed Vulture).

Reptile check-list includes: Reticulated Python, Burmese Python, Monitor lizard, Indian cobra, King cobra, Banded krait, pit viper, Common blind snake, flying snake and few other species. River Jia- Bhoreli and other tributaries harbour a variety of species and important ones are Golden Masher, Rou, Kandhuli, Bhakua, Bato, Lasim, Ari, Borali, Xinghi, Magur, Xol, Goroi, Kawoi and Kholihiona. Amongst invertebrates, eighty species of butterflies and moths have been listed.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which specified in paragraph 1 of this notification, around the Nameri Wildlife Sanctuary as Eco sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub- section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 5.0 kilometre around the boundary of Nameri National Park in the State of Assam as the Nameri National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be with an extent upto 5.0 kilometre around the boundary of Nameri National Park in Western, Southern and Eastern Side, Northern boundary of Nameri National Park is the interstate border of Assam and Arunachal Pradesh.

(2) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone are given at **Annexure-I.**

(3) The Global Positioning System Co-ordinates of points along the boundary of Nameri National Park are given at **Annexure-II**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture

(ix) Assam State Pollution Control Board,

(x) Irrigation

(xi) Public Works Department

for integrating environmentally and ecologically consideration into it.

(5) The Zonal Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 23, 34, 35 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

IndiaCode

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development.;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nalsarovar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(12) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

9	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10	Mobile Towers	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11	Cattle herds	Cattle herds shall not be kept within 500 m from the boundary of the National Park.
Regulated Activities		
12	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
13	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
14	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
15	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
16	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
17	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
18	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
19	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
20	Migratory graziers	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
21	Existing establishments	Regulated under applicable laws
22	Insulation of electric lines	Promote underground cabling.
23	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
24	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the ESZ shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
25	Drastic change of Agriculture system	Regulated under applicable laws
26	Commercial use of Natural water Resource including Ground water Harvesting	Regulated under applicable laws

Indiacode

27	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial vehicles under applicable laws
28	Introduction of exotic species	Regulated under applicable laws
29	Sign Board and Hoardings	Regulated under applicable laws
30	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
Promoted Activities		
31	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
32	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
35	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
36	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of following namely :-

i) Deputy Commissioner, Sonitpur - Chairman

ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Assam for a period of one year. - Member

iii) One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year). - Member

iv) Regional Officer, Assam State Pollution Control Board - Member

v) District Forest Officer, Sonitpur - Member

vi) Senior. Town Planner of area - Member

vii) Deputy Conservator of Forest(WL) - Member-Secretary

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma given in **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/117/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

List of village falling in Eco-sensitive zone of Nameri National Park

Sl. No.	Name	Longitude	Latitude
1	Chotaigaon	92°47'44.91"	26° 57'34.73"
2	Chotaigaon (Miribasti)	92°48'31.81"	26° 56'51.08"
3	Potasall	92°49'29.61"	26° 55'22.99"
4	Gamani	92°48'25.23"	26° 55'36.26"
5	Natun Dharikati	92°49'31.86"	26° 54'53.71"
6	Aralilaga	92°47'42.14"	26° 54'22.27"
7	Sopaloga	92°47'44.57"	26° 54'45.88"
8	Sengelimari	92°47'21.55"	26° 53'27.56"
9	Dharikati	92°49'39.99"	26° 53'16.76"
11	Sonaibasti	92°49'30.47"	26° 52'21.35"
12	Bokola	92°46'51.27"	26° 52'53.91"
13	Dolongbasti	92°47'44.05"	26° 52'4.061"
14	Bedgaul	92°47'27.26"	26° 51'41.67"
15	Hoddibasti	92°48'22.29"	26° 51'30.56"
16	Bhorelibasti	92°49'7.979"	26° 51'39.36"
17	Bhuragaon TG	92°48'53.27"	26° 50'57.98"
18	Lokra	92°48'8.450"	26° 50'27.10"
19	Ghoramari	92°49'50.37"	26° 49'58.38"
20	Salanibasti	92°49'21.99"	26° 49'27.81"
21	Salani	92°50'12.52"	26° 49'24.72"
22	Bamgaon	92°48'32.67"	26° 49'18.85"
23	Akabasti	92°49'18.36"	26° 48'39.70"
24	Silanipam	92°51'41.47"	26° 49'38.46"
25	Badgaon	92°51'44.93"	26° 48'57.77"
26	Sikimgaon	92°51'52.54"	26° 50'10.81"
27	Silanighat	92°52'27.93"	26° 49'53.79"

IndiCode

28	Bahminipam	92°53’23.57”	26° 49’39.89”
29	Thowbanga	92°53’49.01”	26° 48’39.58”
30	Agripam	92°54’15.14”	26° 49’40.28”
31	Patgaon	92°53’41.56”	26° 50’13.01”
32	Ranga Chuck	92°54’39.36”	26° 50’20.73”
33	Bor Dikarai	92°53’45.03”	26° 51’31.41”
34	Morikuti	92°55’1.518”	26° 51’28.63”
35	Batamari	92°56’6.584”	26° 50’35.67”
36	Christian basti	92°56’5.719”	26° 51’55.95”
37	Batamari	92°56’14.02”	26° 51’13.81”
38	Githrijan	92°56’45.00”	26° 50’52.35”
39	Uttar Balijuri	92°57’35.35”	26° 51’26.31”
40	Tezalpatty	92°58’51.32”	26° 52’5.219”
41	Mirigaon	92°56’5.113”	26° 52’45.12”

ANNEXURE-II

GPS Co-ordinates of points along the boundary/ESZ of Nameri National Park

GPS co-ordinates of points along the boundary of Nameri NP

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	92° 39.018' E	27° 0.901' N
2	E02	92° 39.849' E	27° 2.250' N
3	E03	92° 42.920' E	27° 1.565' N
4	E04	92° 46.415' E	27° 1.954' N
5	E05	92° 50.026' E	27° 0.742' N
6	E06	92° 55.255' E	26° 58.892' N
7	E07	92° 58.990' E	26° 56.172' N
8	E08	92° 56.634' E	26° 53.058' N
9	E09	92° 52.536' E	26° 50.751' N
10	E10	92° 51.052' E	26° 50.308' N
11	E11	92° 50.030' E	26° 52.786' N
12	E12	92° 51.079' E	26° 54.943' N
13	E13	92° 49.233' E	26° 57.440' N
14	E14	92° 44.102' E	26° 59.723' N
15	E15	92° 41.027' E	26° 59.787' N

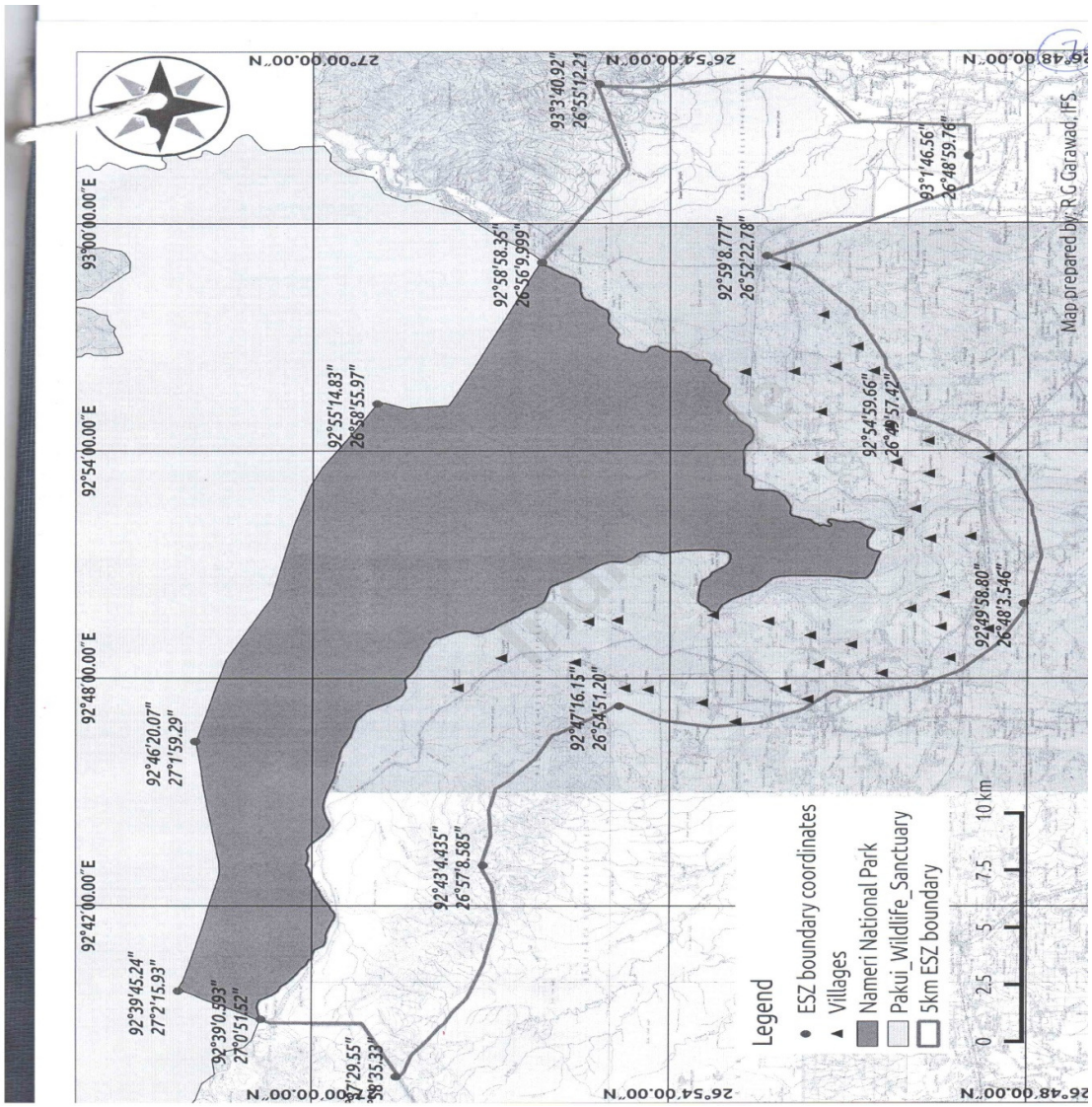
GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Nameri NP

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	92° 38.967' E	26° 58.871' N
2	E02	92° 37.921' E	26° 58.371' N
3	E03	92° 42.276' E	26° 56.582' N
4	E04	92° 47.570' E	26° 54.332' N
5	E05	92° 48.052' E	26° 50.522' N
6	E06	92° 50.116' E	26° 47.196' N
7	E07	92° 54.372' E	26° 47.651' N
8	E08	92° 58.472' E	26° 50.750' N
9	E09	93° 0.467' E	26° 53.106' N
10	E10	93° 1.572' E	26° 54.543' N

IndiaCode

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK WITH LATITUDES AND LONGITUDES



ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);

Details may be attached as Annexure

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

 Details may be attached as separate Annexure;

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

 Details may be attached as separate Annexure;

7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;

8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.